

प्रेस नोट – थाना राजेपुर

दिनांक :- 09.09.2023

थाना राजेपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के नाम पंजीकृत मो०सा० नं० UP 76 R 3324 कीमत 15964/- रुपये 14(1) गैंगस्टर के अन्तर्गत किया कुर्क ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रविन्द्र नाथ राय के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 259/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त घासीराम पुत्र शिवमंगल निवासी सथरा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ के नाम दर्ज मोटर साइकिल बजाज प्लैटिना नं० UP 76 R 3324 कीमत 15964/- रुपये को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के आदेश के अनुपालन में 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क करवाया गया ।

अभियुक्त का नाम पता:-

1. घासीराम पुत्र शिवमंगल निवासी ग्राम सथरा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त घासीराम का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 259/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
2. मु०अ०सं० 192/2022 धारा 3/8 गौवध अधिनियम थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
3. मु०अ०सं० 229/2007 धारा 286/338 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

थाना राजेपुर पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दिवाकर प्रसाद सरोज थाना राजेपुर
2. उ०नि० श्री राजेश कुमार थाना राजेपुर
3. हे०कां० चन्द्रशेखर थाना राजेपुर
4. कां० अंकुर कुमार थाना राजेपुर

मीडिया सेल फतेहगढ़



